

* ई-मेल स्पीड
पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ शुद्धि पत्र ॥

वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-64 दिनांक 16.06.2026 में निम्नवत् संशोधित किया जाता है-

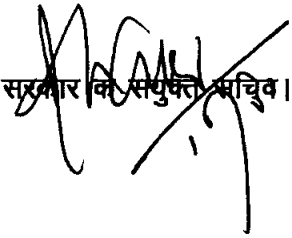
1. उक्त राज्यादेश के विषय में अंकित वित्तीय वर्ष 2025-26 को वित्तीय वर्ष 2026-27 पढ़ा जाय।
2. उक्त राज्यादेश के कंडिका-05 में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, **अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग** होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
3. उक्त स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिका यथावत रहेगी।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापक-15/SWD-05-34/2026 2602 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-11/04/26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।